

यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव खनन एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया गया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

सचिव खनन एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून के माह 04/2012 से 03/2017 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार मौर्य ले0प0 व श्री दिलीप कुमार श्रीवास्तव सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 27.04.2017 से 02.05.2017 तक श्री नवीन चन्द्र शंखधर लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्ण पर्यवेक्षण में सम्पादित किया गया।

### भाग-I

- (1)परिचयात्मक:** इस इकाई की (प्रथम लेखापरीक्षा) लेखापरीक्षा श्री .....सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक .....से .....तक सम्पादित की गयी थी। जिसमें राजस्व हेतु माह .....से .....तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा मे माह .....से .....(वषयक व लेन देन लेखापरीक्षा) तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।
- (i) **इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र:** - स चवालय, देहरादून
- (ii)(अ) **राजस्व विवरण**

विगत वर्षों मे कार्यालय द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा निम्नवत् है

वर्ष	अर्जित राजस्व (रू लाख में)
लागू नहीं	

(ii)(ब) बजट का विवरण:-विगत दो वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत है:( लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधि क्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर स्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
	लागू नहीं							

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत है:

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय अधिक्य (+)	बचत (-)
शून्य					

(iii) इकाई को बजट आवंटन शासन द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ---C---श्रेणी की है।

(iv) विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत है:

सचिवालय - सचिव

(v) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधि: लेखापरीक्षा में सचिवालय मात्र को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण प्रतिवेदन सचिव खनन एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है।

(vi) विस्तृत जांच हेतु माह का चयन :-

**राजस्व:** माह.....लागू नहीं.....को विस्तृत जांच (राजस्व) हेतु चयनित किया गया।

**व्यय:** माह .....लागू नहीं .....को विस्तृत जांच (व्यय) हेतु चयनित किया गया।

(vii) योजना का चयन :- लागू नहीं ।

(viii) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

राजस्व की लेखा- लेखापरीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

व्यय की लेखा परीक्षा

भाग-2 'अ'

शून्य

भाग-2 'ब'

शून्य

**भाग-III**

राजस्व से संबंधित विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण :

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
प्रथम लेखापरीक्षा परीक्षा।		

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो की अनुपालन आख्या : प्रथम लेखापरीक्षा परीक्षा।

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरो का विवरण : प्रथम लेखापरीक्षा परीक्षा।

व्यय से संबंधित: - प्रथम लेखापरीक्षा परीक्षा।

**भाग-IV****इकाई के सर्वोत्तम कार्य**

- (1) राजस्व से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य
- (2) व्यय से संबंधित इकाई द्वारा निष्पादित अच्छे कार्य -टिप्पणी शून्य

**भाग-V****आभार**

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **सचिव खनन एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है तथापि लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गये: शून्य
2. **सतत् अनियमितताएं:**  
टिप्पणी- शून्य
3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम सं०	नाम	पदनाम
(i)	श्री शैलेश बगौली	स चव

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **सचिव खनन एवं खनिकर्म उत्तराखण्ड सचिवालय देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उप महालेखाकार/उप महालेखाकार (राजस्व क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाए।

**लेखापरीक्षा अधिकारी राजस्व क्षेत्र**